संख्या : 101/2018/1625/छप्पन-2018-115/89टी0सी0

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ :दिनांक :17 सितम्बर, 2018

विषय: रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) एयरपोर्ट को विकसित किए जाने हेतु आवश्यक भूमि के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या: 201/ना0उ0नि0/2018, दिनांक 10 जुलाई, 2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें म्योरपुर (सोनभद्र) एयरपोर्ट को विकसित किए जाने के निमित्त 18.28 एकड़ (7.4009 हैक्टेयर) भूमि की लागत रू0 8,27,10,406/- (रूपए आठ करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार चार सौ छः मात्र) पर प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त करते हुए वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत चयनित म्योरपुर (सोनभद्र) एयरपोर्ट को विकसित किए जाने हेतु आवश्यक 18.28 एकड़ (7.4009 हैक्टेयर) भूमि के क्रय हेतु आकलित लागत रू0 8,27,10,406/- (रूपए आठ करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार चार सौ छः मात्र)पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस परियोजना पर रू0 8,27,10,406/- (रूपए आठ करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार चार सौ छः मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

I. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
II. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।
III. जिलाधिकारी, सोनभद्र और निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए मास्टर प्लान को राजस्व मैप पर सुपर इम्पोज कराने के उपरान्त चिन्हित की गई भूमि से सम्बन्धित जिला प्रशासन और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त प्रस्ताव (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार ही भूमि का क्रय किया जाए।
IV. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन न हो। अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(Vii) में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

V. स्वीकृति धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

VI. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जाएगा।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 8,27,10,406/- (रूपए आठ करोड़ सत्ताईस लाख दस हजार चार सौ छः मात्र) को आहरित कर तत्काल जिलाधिकारी, सोनभद्र के निवर्तन पर रखा जाएगा और यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

4- कृपया भूमि के क्रय हेतु अपेक्षित अग्रेतर कार्यवाही जिलाधिकारी, सोनभद्र से शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें ताकि विषयांकित कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराया जा सके।

5- जिलाधिकारी, सोनभद्र द्वारा उपर्युक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् शासन एवं निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को यथासमय सूचित किया जाएगा।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-38 के पूंजीगत लेखाशीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20 हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24 वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जाएगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- ई-7-864/दस-2018, दिनांक 14 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

संख्या : 101/2018/1625(1)/छप्पन-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिटभवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10 ।
3- मण्डलायुक्त, मिर्जापुर।
4- जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वरिष्ठ कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13 ।
8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
9- समीक्षा अधिकारी (बजट) ।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in